

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश


कमॉक / 392 / अति.जि.दण्डा. / 2020

दुर्ग, दिनांक 13 मई, 2020

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रभावशील लॉक डाउन की अवधि में नाई, सेलून एवं स्पॉ आदि को सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निम्नलिखित शर्तों पर खोलने की अनुमति दी जाती है :-

1. सेवा के संचालक सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे- नाम, पता, मोबाईल नं० का ब्योरा संधारित करेंगे ।
2. किसी व्यक्ति पर उपयोग की गयी वस्तु या सामग्री का दुबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं करेंगे ।
3. संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपाय यथा- मास्क, ग्लोब, सेनेटाईज़र अत्यादि का उपयोग करेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग

पृ०कमॉक / 392 / अति.जि.दण्डा. / 2020

दुर्ग, दिनांक 13 मई, 2020

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग / भिलाई / भिलाई चरोदा / रिसाली
3. अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग / धमधा / पाटन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग